2024:CGHC:30697-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील प्रकरण कमांक–450/2024

दुलामणी यादव पिता पंचूराम यादव, उम्र लगभग–22 वर्ष, निवासी–ग्राम खैरा, थाना–सलीहा, जिला–बलौदाबाजार–भाटांपारा (छ.ग.)

..... **अपीलार्थी**

(अभिरक्षा में निरूद्ध)

// बनाम //

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी आरक्षी केन्द्र–बसना, जिला–महासमुंद (छ.ग.)

..... **उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

अपीलार्थी की ओर से श्री अनिल गुलाटी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य की ओर से श्री संघर्ष पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता।

.....

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री बिभु दत्ता गुरू, न्यायाधीश,

बोर्ड पर निर्णय पारित

द्वारा रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

13.08.2024

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गुलाटी को सुना गया, साथ ही उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री संघर्ष पाण्डेय को भी सुना गया।

2. यह आपराधिक अपील **दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संक्षेप में (सी.आर.पी.सी.) की धारा 374 (2)** के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो विद्वान विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) सरायपाली–जिला महासमुंद (छ.ग.) द्वारा विशेष आपराधिक पाक्सो प्रकरण संख्या 17/2021 में घोषित निर्णय दिनांक 24/01/2024 के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा–376(3) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (अधिनियम) की धारा–3(2)(ट) तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (संक्षेप में पाक्सो एक्ट) की धारा–6 में क्रमशः 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/– रूपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, आजीवन सश्रम कारावास एवं 500/– रूपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, (कारावास की सभी सजाएं साथ–साथ चलने का निर्देश दिया गया है) के दण्डादेश से दण्डित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 22/10/2020 को परिवादी/पीड़िता ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध बसना थाने में लिखित शिकायत (प्रदर्श पी–1) दर्ज कराई, जिसमें परिवादी ने यह बताया था कि उसके भाई की शादी में अपीलार्थी आया था तथा उसे आंगन में स्थित शौचालय की ओर बुलाया और उसके मना करने के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर उसे गर्भवती कर दिया तत्पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया। परिवादी की शिकायत के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई. आर.) प्रदर्श पी–2 दर्ज की गई। इसके पश्चात विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया तथा शिकायतकर्ता के कथनानुसार अपराध विवरण प्रपत्र प्रदर्श पी–3 तथा पटवारी नक्शा (प्रदर्श पी–28) तैयार किया। परिवादी/पीड़िता से उसकी सहमति (प्रदर्श पी–4 एवं प्रदर्श पी–5) लेकर चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया एवं रिपोर्ट प्राप्त की गई। डॉक्टर की स्लाइड जब्त की गई (प्रदर्श पी–14) तथा दो वीर्य स्लाइड भी जब्त की गई (प्रदर्श पी–12) परिवादी/पीड़िता का जन्म रजिस्टर जब्त किया गया (प्रदर्श पी–10) तथा धारा 164 के तहत उसका कथन प्रदर्श पी–7 के तहत दर्ज किया गया। जब्त संपत्तियों को प्रदर्श पी–18 के तहत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाए रायपुर भेजा गया तथा आरोपी को प्रदर्श पी–25 के तहत गिरफ्तार कर प्रदर्श पी–26 के तहत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4. विवेचना पूर्ण करने के बाद विद्वान विशेष न्यायाधीश ;पॉक्सोद्धए सरायपालीए जिला महासमुंद ;छण्गण्द्ध के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन दाखिल किया गया तथा प्रकरण को विशेष आपराधिक पॉक्सो प्रकरण क्रमांक 17ध्2021 के रूप में पंजीकृत किया गया। गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

5- विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) एवं 376(2)(एन) तथा 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(वी) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप तय किए तथा आरोपी को पढ़कर सुनाया तथा समझाया, जिसने अपना दोष अस्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपराध को स्पष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण कराया:-

1. पीडब्लू-1 पीड़िता का बयान
2. पीडब्लू-2 पीड़िता की मां का बयान
3. पीडब्लू-3 पीड़िता के बड़े पिता का बयान
4. पीडब्लू-4 बेलाल सिंह नाग का बयान
5. पीडब्लू-5 भुवनेश्वर का बयान
6. पीडब्लू-6 पीड़िता के पिता का बयान
7. पीडब्लू-7 मोनू कुमार का बयान
8. पीडब्लू-8 दंडधर भोई का बयान
9. पीडब्लू-9 उमेश कुमार साहू का बयान
10. पीडब्लू-10 छत्रपाल पटेल का बयान

11. पीडब्लू-11 राम कुमार का बयान

12. पीडब्लू-12 डॉ. वर्षा सतपथी का बयान

13. पीडब्लू-13 प्रेमलता नाग का बयान

14. पीडब्लू-14 वीणा यादव का बयान

15. पीडब्लू-15 मीना ध्रुव का बयान

16. पीडब्लू-16 यशवंत ध्रुव

17. पीडब्लू-17 डॉ. राजेश पटेल का बयान

18. पीडब्लू-18 विकास पाटले का बयान

19. पीडब्लू-19 लेखराम ठाकुर का बयान

20. पीडब्लू-20 दुखमोती का बयान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उपरोक्त प्रत्यक्ष साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए:-

1 प्रदर्श पी–1 लिखित शिकायत

2 प्रदर्श पी–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट

3 प्रदर्श पी–3 अपराध विवरण प्रपत्र

4 प्रदर्श पी–4 सहमति पत्र

5 प्रदर्श पी–5 पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट

6 प्रदर्श पी–6 संपत्ति जब्ती ज्ञापन

7 प्रदर्श पी–7 दण्प्रण्संण् की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान।

8 प्रदर्श पी–8 विदेश सिदार का पुलिस बयान

9 प्रदर्श पी–9 भुनेश्वर साव का पुलिस बयान

10 प्रदर्श पी–10 संपत्ति जब्ती ज्ञापन

11 प्रदर्श पी–11ङ दाखिल खारिज रजिस्टर की प्रति

12 प्रदर्श पी–12 संपत्ति जब्ती ज्ञापन

13 प्रदर्श पी–13 कर्तव्य प्रमाण पत्र

14 प्रदर्श पी–14 संपत्ति जब्ती ज्ञापन

15 प्रदर्श पी–15 कर्तव्य प्रमाण पत्र

16 प्रदर्श पी–16 घटना स्थल नक्शा

17 प्रदर्श पी–17 पंचनामा

18 प्रदर्श पी–18 जब्त वस्तुओं की जांच के लिए एफएसएल को ज्ञापन

19 प्रदर्श पी–19 प्रदर्शों की प्राप्ति

20 प्रदर्श पी–20 कर्तव्य प्रमाण पत्र

21 प्रदर्श पी–21 पुलिस ज्ञापन

22 प्रदर्श पी–22 मृत बच्चे के जन्म की सूचना के संबंध में एसएचओ को ज्ञापन

23 प्रदर्श पी–23 पीड़िता की चिकित्सा जांच के लिए आवेदन

24 प्रदर्श पी–24 अभियुक्त की मेडिकल जांच के लिए आवेदन दुलामणि यादव

25 प्रदर्श पी–25 गिरफ्तारीध्न्यायालय समर्पण ज्ञापन

26 प्रदर्श पी–26 गिरफ्तारी की सूचना

27 प्रदर्श पी–27 सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करने के अनुरोध के साथ जेएमएफसी को ज्ञापन

28 प्रदर्श पी–28 घटनास्थल का नक्शा उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन

29 प्रदर्श पी–29 मृत बच्चे की फीमर हड्डी को डीएनए परीक्षण के लिए सुरक्षित रखने के संबंध में बीएमओ को ज्ञापन

30 प्रदर्श पी–30 आरोपी और पीड़ित के रक्त का नमूना लेने की अनुमति के संबंध में सीएमओ को ज्ञापन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31 प्रदर्श पी–31 आरोपी के रक्त का नमूना लेने की अनुमति के संबंध में जेल अधीक्षक को ज्ञापन

32 प्रदर्श पी–32 पीड़ित के रक्त का नमूना लेने की अनुमति के संबंध में तहसीलदार को ज्ञापन

33 प्रदर्श पी–33 पीड़ित के पिता का सहमति पत्र

34 प्रदर्श पी–34 पीड़ित का सहमति पत्र

35 प्रदर्श पी–35 आरोपी का सहमति पत्र

36 प्रदर्श पी–36 से प्रदर्श पी–38 संपत्ति जब्ती ज्ञापन

37 प्रदर्श पी–39 जब्त वस्तुओं की जांच के लिए एफएसएल को ज्ञापन

38 प्रदर्श पी–40 प्रदर्शों की प्राप्ति

39 प्रदर्श पी–41 डीएनए रिपोर्ट

40 प्रदर्श पी–42 पीड़िता का पहचान पत्र

41 प्रदर्श पी–43 दुलामणी यादव का पहचान पत्र

42 प्रदर्श पी–44 जाति प्रमाण पत्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ सभी परिस्थितियों से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने न तो किसी गवाह का साक्ष्य प्रस्तुत किया है एवं न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित किया है।

9. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने और यह विचार करने के बाद कि अपीलार्थी ने ही उपरोक्त अपराध किया है, उसे उपरोक्त अपराध का दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिसके खिलाफ अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपील पेश की गई।

10. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना की तारीख पर पीड़िता नाबालिग थी, लेकिन यह तथ्य वैध साक्ष्य पेश करके साबित नहीं किया गया है। इस संबंध में पीड़िता का केवल दाखिल-खारिज रजिस्टर (एक्स.पी/11 सी) जब्त किया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 17.05.2005 दर्शाई गई है, लेकिन किसी भी गवाह द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि स्कूल में उक्त जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई थी। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करके यह साबित करने में विफल रहा है कि घटना की तारीख को पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे अभिकथित किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने एमएलसी रिपोर्ट और डॉ. वर्षा सतपथी (पीडब्लू-12) के बयान को पढ़ने में गलती की है और यह भी विचार करने में विफल रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता की उम्र स्कूल रजिस्टर के माध्यम से साबित नहीं हुई है कि घटना के समय वह नाबालिग थी या नहीं। विद्वान विचारण न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य पर विचार नहीं किया था और केवल पीड़िता (पीडब्लू-1) के साक्ष्य को मूल्यांकित किया है।

11. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और कहा कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध जघन्य प्रकृति के थे और इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने उसे उचित रूप से दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए सभी तर्कों पर विचार किया था और उसके अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। इसके अलावा, घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जो स्कूल दाखिल एवं खारिज रजिस्टर एक्स.पी/11सी से साबित होता है जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 17.05.2005 दर्ज है। पीड़िता के साक्ष्य को किसी भी अन्य साक्ष्य से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है और पीड़िता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी पहले से ही शादीशुदा है और शादी के बहाने उसने पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए, जिसके कारण पीड़िता गर्भवती हो गई और 12.12.2020 को उसे एक बच्ची हुई, जिसकी जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। डीएनए रिपोर्ट में एक्स.पी/41 के माध्यम से यह भी पुष्टि की गई है कि मृत बच्ची का पिता अभियुक्त/अपीलार्थी है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और दोषसिद्धि और सजा के आदेश के आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों को भी अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ देखा है।

13. इस मामले में अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्यतः पीड़िता (पीडब्लू-1) के साक्ष्य दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स.पी/11सी) और डीएनए रिपोर्ट (एक्स.पी/41) की गवाही पर आधारित है।

14. अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 17.05.2005 है, इस आधार पर घटना दिनांक 14.03.2020 से 22.10.2020 तक पीड़िता की आयु 14 वर्ष 27 माह 27 दिन थी। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने शासकीय प्राथमिक शाला गनेकेरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) का दाखिल खारिज रजिस्टर प्रस्तुत किया है, जिसे उक्त शाला के प्रधानाध्यापक दंडधर भोई (पी.डब्लू.-8) द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से यह अभिकथित किया है कि दाखिल खारिज रजिस्टर में पीड़िता के संबंध में प्रवेश क्रमांक 1212 में जानकारी दर्ज है तथा उसे कक्षा-1 में दिनांक 16.06.2011 को प्रवेश दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि इस रजिस्टर के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 17.05.2005 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. पीड़िता की जन्म तिथि वर्तमान घटना से 15 वर्ष पूर्व दाखिल खारिज रजिस्टर में 17.05.2005 दर्ज है, जिसके आधार पर घटना दिनांक को पीड़िता की आयु लगभग 14 वर्ष 09 माह 27 दिन पाई गई। अपीलार्थी ने पीड़िता की उक्त आयु को खारिज करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

16. इस प्रकार, उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 12 में सही रूप से माना है कि घटना दिनांक को पीड़िता बालिका थी, अर्थात 16 वर्ष से कम आयु की थी।

17. जहां तक अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार के संबंध में आरोप का संबंध है , पीडब्लू-1, जो मामले में पीड़िता है , ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह काफी समय से मोबाइल फोन पर अभियुक्त से बात कर रही थी। दिनांक 14.03.2020 को जब उसके भाई की शादी थी, तब आरोपी उसके घर आया। वह आरोपी/अपीलार्थी से मोबाइल पर बात करती थी और जब वह गर्भवती हुई, तो उसने आरोपी को इस बारे में बताया , जिस पर आरोपी ने उसे जांच कराने को कहा , लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जब वह सात माह की गर्भवती हुई, तब उसके परिजनों को इसकी जानकारी हुई। तब उसके परिजन आरोपी के घर गए, जहां आरोपी ने पीड़िता को जानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई, जहां महिला पुलिस अधिकारी हेमलता नाग ने उसके कथनानुसार रिपोर्ट लिखी। लिखित रिपोर्ट एक्स .पी/1 है। लिखित रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जो एक्स.पी/2 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. दिनांक 12.12.2020 को पीड़िता ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसकी जन्म के तुरन्त बाद मृत्यु हो गई। घटना के सम्बन्ध में पीड़िता के गांव में जांच की गई तथा घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, जो कि प्र.पी/3 है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा उसकी सहमति ली गई, जो कि प्र.पी/4 है। पीड़िता को डॉक्टर के पास ले जाया गया तथा डॉक्टर की जांच रिपोर्ट में उसने अपनी सहमति दी, जो कि प्र.पी/5 है।

19. पीड़िता के पिता (पी.डब्लू-6) ने अपने बयान में कहा है कि वह अभियुक्त को जानता था तथा घटना पिछले वर्ष कुंवार माह में घटित हुई थी। जब उसने अपनी पुत्री से उसके गर्भवती होने के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि यह उसके खैरा गांव के दुलामणी के साथ उसके संबंधों के कारण हुआ है। हालांकि, जब वह खैरा गांव गया तथा संबंधों के बारे में पूछताछ की, तो अभियुक्त ने पीड़िता के साथ किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। बाद में जब वह कुछ अन्य ग्रामीणों, जिनमें अभिवरन सिदार, ईश्वर सिदार, बेलाल सिदार और भुवनेश्वर शामिल थे, के साथ खैरा गांव गया तो पीड़िता ने एक बैठक में आरोपी की पहचान की, लेकिन आरोपी ने उसके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। गवाह बेलाल सिंह नाग (पीडब्लू-4) और भुवनेश्वर (पीडब्लू-5) ने पीड़िता के पिता की गवाही का समर्थन करते हुए कहा कि वे खैरा गांव में एक बैठक में शामिल हुए थे, जहां ग्रामीणों ने पीड़िता से पूछा कि उसके बच्चे का पिता कौन है और उसने आरोपी दुलामणी को बच्चे के पिता के रूप में पहचाना। हालांकि, आरोपी ने पीड़िता के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस संबंध में लेखराम ठाकुर (पीडब्लू-19) ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। वीणा यादव (पीडब्लू-14), जो 22.10.2020 को सरायपाली पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर थीं, ने कहा कि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के मौखिक और लिखित निर्देशों के आधार पर पीड़िता का बयान दर्ज किया था। विवेचना अधिकारी विकास पाटले (पीडब्लू-18) ने कहा कि उन्होंने मामले की विवेचना किया है, घटनास्थल का नक्शा (एक्स.पी/3) तैयार

किया, आरोपी को एक्स.पी/24 के तहत मेडिकल जांच के लिए भेजा, जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी/6, पी/10, पी/12 और पी/14) तैयार किया, एक्स.पी/18 के तहत राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को साक्ष्य भेजे, एक्स.पी/25 और पी/26 के तहत गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किए और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाहों और पीड़िता के बयान दर्ज किए।

21. पीड़िता की जांच करने वाली चिकित्सा अधिकारी डॉ. वर्षा सतपथी (पीडब्लू-12) ने बयान दिया है कि 23.10.2020 को पीड़िता को महिला कांस्टेबल प्रेमलता नाग (पीडब्लू-13) पुलिस स्टेशन बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) द्वारा जांच के लिए उनके समक्ष लाया गया था। जांच के दौरान उन्होंने पीड़िता की शारीरिक जांच के लिए सहमति ली, जिसमें स्त्री रोग संबंधी जांच भी शामिल थी। जांच करने पर उन्होंने पाया कि पीड़िता मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी और अपने पूरे होश में थी। उसके बाएं हाथ पर एक तिल था। पीड़िता के अनुसार उसका अंतिम मासिक धर्म 01.03.2020 को आया था। पीड़िता ने बताया कि वह अविवाहित थी और उसका गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक था, जो दर्शाता है कि वह सात महीने की गर्भवती थी। बच्चे की हृदय गति 150 धड़कन प्रति मिनट थी। पीड़िता के अनुसार, 11/25 उसने आखिरी बार 14.03.2020 को संभोग किया था। पीड़िता ने यह भी बताया कि वह पिछले एक साल से आरोपी दुलामनी के साथ रिश्ते में थी। उसकी द्वितीयक यौन विशेषताएँ विकसित हो चुकी थीं और उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। आंतरिक जांच में चोट के कोई निशान नहीं मिले। उसका गर्भाशय ग्रीवा सामान्य और स्वस्थ था, जिसमें सामान्य योनि स्राव मौजूद था। उसकी हाइमन पहले से ही फटी हुई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी, जिससे दो उंगलियाँ आसानी से डाली जा सकती थीं। उन्होंने पीड़िता के योनि स्राव की स्लाइड और स्वाब तैयार किए, उन्हें सील किया और रासायनिक जांच के लिए महिला कांस्टेबल को सौंप दिया।

22. डॉ. राजेश पटेल (पीडब्लू-17) ने अपने बयान में बताया कि दिनांक 11.12.2020 को उन्होंने बसना थाने में इस आशय का आवेदन दिया था कि बसना थाने में पंजीकृत धारा 376 आईपीसी से संबंधित मामले की पीड़िता को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कि प्र.पी/21 है। दिनांक 12.12.2020 को उन्होंने प्र.पी/22 के माध्यम से उपचाराधीन पीड़िता के प्रसव के दौरान मृत बच्चे के जन्म की सूचना बसना थाने के प्रभारी को दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त विवेचना के मद्देनजर हम भी विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान अपराध का अपराधी है।

24. प्रस्तुतीकरण के दौरान विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कुछ विरोधाभासों और विलोपों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, लेकिन माननीय **सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह के मामले में (1996) 2 एससीसी 384** में पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता पर विचार करते हुए माना है कि "अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त था और जब तक पुष्टि की मांग करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों, तब तक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय न्यायिक

विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासनों की तलाश कर सकता है"। **पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 176 में भी यही बात दोहराई गई** ।

25. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी आपत्ति उठाई कि पीड़िता के अलावा उसके बयान के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है , यहां तक कि उसके पिता और मां का बयान भी पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है और मेडिकल साक्ष्य भी पुष्टि नहीं करते हैं , इसलिए केवल पीड़िता के बयान के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराना स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलील से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि अभियुक्त की सजा बिना पुष्टि के केवल एकल साक्ष्य के आधार पर हो सकती है और यह भी माना गया है कि अदालत को केवल धारणाओं और अनुमानों के आधार पर पीड़िता की एकमात्र गवाही पर संदेह नहीं करना चाहिए।

27. **गणेशन बनाम राज्य के मामले में, (2020) 10 एससीसी 573** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित किया है कि पीड़ित/अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है जब पीड़ित का बयान भरोसेमंद, बेदाग, विश्वसनीय पाया जाता है और उसका साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है। उपर्युक्त मामले में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पीड़ित के एकमात्र साक्ष्य पर दोषसिद्धि पर निर्णयों की श्रृंखला पर विचार करने का अवसर था। पैराग्राफ 10.1 से 10.3 में, यह देखा गया और निम्नानुसार माना गया:

"10.1. क्या यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामले में अभियोक्ता के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है? **विजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एससीसी 191, (एससीसी पृष्ठ 195-98) में पैरा 9 से 14** में निम्नानुसार संपरीक्षण किया गया है:

9. **महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, (1990) 1 एससीसी 550]** में इस न्यायालय ने माना कि एक महिला, जो यौन उत्पीड़न की शिकार है, अपराध में सहयोगी नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की वासना की शिकार है और इसलिए , उसके साक्ष्य को सहयोगी के समान संदेह के साथ परखा जाना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने निम्न टिप्पणी की: **(एससीसी पृष्ठ 559, पैरा 16)**

16. यौन अपराध की अभियोक्ता को सह अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि अन्य विवरणों में न हो। वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी कि घायल शिकायतकर्ता या गवाह के मामले में बरती जाती है , इससे अधिक नहीं। यह आवश्यक है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सजग और सचेत रहना चाहिए कि वह उस व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्ता के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के उदाहरण (बी) के समान कोई कानून या अभ्यास शामिल नहीं है, जिसके लिए उसे पुष्टि की तलाश करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से न्यायालय अभियोक्ता की गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखने में हिचकिचाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए सहायक के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम आश्वासन दे सके। अभियोक्ता की गवाही को आश्वासन देने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन अगर अभियोक्ता वयस्क है और पूरी समझ रखती है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बनाने का हकदार है, जब तक कि उसे कमजोर और भरोसेमंद नहीं दिखाया जाता। यदि मामले के रिकॉर्ड में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोक्ता के पास आरोपित व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाने का कोई मजबूत मकसद नहीं है, तो अदालत को आमतौर पर उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

10. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू, रिपोर्ट (2005) 3 एससीसी 594]** में इस न्यायालय ने माना कि ऐसे मामले में भी जहां यह दिखाया गया है कि लड़की सहज गुण वाली लड़की है या यौन संबंध बनाने की आदी लड़की है, यह बलात्कार के आरोप से अभियुक्त को मुक्त करने का आधार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं हो सकता है। यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उस विशेष अवसर के लिए उसकी सहमति थी। अभियोक्ता को चोट न लगना ऐसा कारक नहीं हो सकता है जिसके कारण न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर दे। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है और यदि न्यायालय अभियोक्ता के कथन से संतुष्ट नहीं है, तो वह अन्य साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य, मांग सकता है, जिससे उसे उसकी गवाही का आश्वासन मिल सके। न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना: **(एससीसी पृष्ठ 597, पैरा 12) '**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बलात्कार के अपराध की शिकार होने की शिकायत करने वाली अभियोक्ता अपराध के बाद सह -अपराधी नहीं है। कानून का कोई नियम नहीं है कि भौतिक विवरणों में पुष्टि के बिना उसकी गवाही पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह घायल गवाह की तुलना में उच्च स्थान पर है। बाद के मामले में , शारीरिक रूप से चोट है, जबकि पहले मामले में यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों है। हालांकि, अगर तथ्यों की अदालत को अभियोक्ता के अभिसाक्ष्य को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है , जो उसकी गवाही को संदर्भ में दे सके। सहयोगी के संदर्भ में समझे जाने वाले पुष्टि के बिना आश्वासन ही काम करेगा।'

11. **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, रिपोर्ट (1996) 2 एससीसी 384]** में, इस न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न , छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाए। अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और इसके लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पुष्टि की मांग करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। न्यायालय न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासनों की तलाश कर सकता है। अभियोक्ता का बयान घायल गवाह की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह सह-अपराधी नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि यौन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने में देरी को उचित रूप से समझाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन यदि यह स्वाभाविक पाया जाता है, तो आरोपी को इसका कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की: **(एससीसी पृष्ठ 394-96 और 403, पैरा 8 और 21) '**

> 8. न्यायालय ने उस स्थिति को नजरअंदाज कर दिया जिसमें एक गरीब असहाय नाबालिग लड़की खुद को तीन हताश युवकों की संगति में पाती है जो उसे धमका रहे थे और उसे कोई भी अलार्म बजाने से रोक रहे थे। फिर, यदि जांच अधिकारी ने जांच ठीक से नहीं की या चालक या कार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का पता लगाने में लापरवाही बरती , तो यह अभियोक्ता की गवाही को बदनाम करने का आधार कैसे बन सकता है? अभियोक्ता का जांच एजेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं था और जांच अधिकारी की लापरवाही अभियोक्ता के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती थी। अदालतों को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक बयान देने के लिए अदालत में नहीं आएगी, जैसे कि उसके साथ बलात्कार किया गया हो। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में , अभियोक्ता के मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव न डालने वाले या अभियोक्ता के बयान में विसंगतियों को, जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में , एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना चोट पर नमक छिड़कने के बराबर है। अभियोक्ता की गवाही पर न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में पुष्टि कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है।

21. अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए। यदि अभियोक्ता का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है, तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से अदालत को उसकी गवाही पर अंतर्निहित भरोसा करना मुश्किल लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकती है जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सके , साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि के अलावा। अभियोक्ता की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में महत्व दिया जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान संवेदनशील होना चाहिए।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **उड़ीसा राज्य बनाम ठाकरा बेसरा [उड़ीसा राज्य बनाम ठाकरा बेसरा , (2002) 9 एससीसी 86** में न्यायालय ने माना कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व को विचलित (नष्ट) कर देता है। बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है और इसलिए अभियोक्ता की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में महत्व दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में, अन्य गवाहों की भी जांच न करना अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर कमी नहीं हो सकती है, खासकर जहां गवाहों ने अपराध होते हुए नहीं देखा हो।

13. **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह [हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह, (1993) 2 एससीसी 622** में न्यायालय ने माना कि दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने से पहले अभियोक्ता के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य की तलाश करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए। अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वास पैदा करता है और ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं जो उसकी सत्यता के विरुद्ध हों। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने **वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य में दोहराया है। [वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 2 एससीसी 9** में एवं **रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य [रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1952 एससी 54** में रिपोर्ट किया गया है पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस प्रकार, इस मुद्दे पर जो कानून उभर कर आता है, वह इस प्रकार है कि अभियोक्ता का बयान, यदि विश्वास के योग्य और विश्वसनीय पाया जाता है, तो उसे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहरा सकता है।"

10.2. **कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य [कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 130** में न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए

अभियोक्ता का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते कि वह विश्वास पैदा करे और पूरी तरह से विश्वसनीय, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत हो।

10.3. किसे "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है, इस पर इस न्यायालय द्वारा **राय संदीप बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) [राय संदीप बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2012) 8 एससीसी 21** में विचार किया गया है। पैरा 22 में, यह निम्नानुसार देखा और माना गया है: (एससीसी पृष्ठ 29) "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, जिसका कथन, इसलिए, निर्विवाद होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन पर विचार करते हुए न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके वास्तविक साक्ष्य में स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और जो प्रासंगिक होगा वह ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सत्यता है। बयान की संगति शुरुआत से लेकर अंत तक यानी उस समय जब गवाह शुरुआती बयान देता है और अंत में अदालत के सामने पेश होता है, अधिक प्रासंगिक होगी। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के बयान में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। गवाह को किसी भी लंबाई और चाहे कितनी भी कड़ी जिरह का सामना करने की स्थिति में होना

चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य , इसमें शामिल व्यक्तियों और साथ ही इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बयान का अन्य सभी सहायक सामग्रियों जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सह-संबंध होना चाहिए। उक्त बयान को हर दूसरे गवाह के बयान से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए , जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त को उसके खिलाफ आरोपित अपराध का दोषी ठहराए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को योग्य बनाता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है, जिसका बयान अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से , अपराध के मुख्य स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का बयान बरकरार रहना चाहिए , जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, मुख्य विवरणों में उक्त बयान से मेल खानी चाहिए ताकि अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत को मुख्य बयान पर भरोसा करने में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सक्षम बनाया जा सके ताकि अपराधी को आरोपित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छाना जा सके।

28. **राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम पंकज चौधरी के मामले में, (2019) 11 एससीसी 575** में देखा गया और माना गया कि एक सामान्य नियम के रूप में, यदि विश्वसनीय हो, तो अभियुक्त की सजा बिना किसी पुष्टि के केवल एकमात्र गवाही के आधार पर हो सकती है। यह आगे देखा गया और माना गया कि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर अदालत को केवल धारणाओं और अनुमानों के आधार पर संदेह नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ 29 में, यह देखा गया और माना गया कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"29. अब यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है यदि यह विश्वास जगाती है। **[विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य [विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 1 एससीसी 283** में न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा यह सुस्थापित है कि ऐसा कोई कानून या अभ्यास का नियम नहीं है कि अभियोक्ता के साक्ष्य पर पुष्टि के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह निर्धारित किया गया है कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि अनिवार्य नहीं है। यदि पीड़ित के साक्ष्य में कोई बुनियादी कमी नहीं है और "संभावना कारक" उसे विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं बनाता है, तो सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य को छोड़कर पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है , जहां मामले की

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य की उम्मीद की जा सकती है। **[राजस्थान राज्य बनाम एन.के. [राजस्थान राज्य बनाम एन.के., (2000) 5 एससीसी 30** "

29. **शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, (2018) 18 एससीसी 34** में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो उसके बयान की पुष्टि की तलाश करना आवश्यक बनाते हैं, अदालतों को यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर अकेले कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए , ताकि आरोपी को दोषी ठहराया जा सके, जहां उसकी गवाही विश्वास पैदा करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। यह भी देखा गया कि ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना चोट पर नमक छिड़कने के बराबर है। पैराग्राफ 6 और 7 में, यह देखा गया और माना गया कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"6. हम जानते हैं कि बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पर मुकदमा चलाते समय न्यायालयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। न्यायालयों को मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए , जो घातक प्रकृति के नहीं हैं , अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए। यदि अभियोक्ता के साक्ष्य से विश्वास पैदा होता है , तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर अंतर्निहित भरोसा करना मुश्किल लगता

है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को आश्वस्त कर सके, साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि के अलावा। अभियोक्ता की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में महत्व दिया जाना चाहिए और यौन उत्पीड़न या यौन हमलों से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान अदालत को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग और संवेदनशील होना चाहिए। [देखें **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एससीसी 384 (एससीसी पृष्ठ 403, पैरा 21)**

7. यह भी अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि अदालतों को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी स्वाभिमानी महिला अदालत में सिर्फ अपने सम्मान के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए आगे नहीं आएगी , जैसे कि उसके साथ बलात्कार किया गया हो। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में , अभियोक्ता के मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव न डालने वाले या अभियोक्ता के बयान में विसंगतियों को, जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों , अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं की अंतर्निहित शर्मीली प्रवृत्ति और यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिन्हें अदालतों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक कि ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो उसके बयान की पुष्टि की तलाश करने के लिए आवश्यक हों, अदालतों को किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए यौन उत्पीड़न

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की पीड़िता की गवाही पर अकेले कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास पैदा करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना चोट पर नमक छिड़कने के बराबर है। (देखें **रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य [रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य, (1998) 8 एससीसी 635)।",**

30. मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, विशेषकर पीड़िता (पीडब्लू-1) के साक्ष्य, दाखिल खारिज रजिस्टर (एक्स.पी/11सी) एवं डीएनए रिपोर्ट (एक्स.पी/41), पीड़िता की जांच करने वाली चिकित्सा अधिकारी डॉ. वर्षा सतपथी (पीडब्लू-12) के बयान एवं एमएलसी रिपोर्ट एक्स.पी/5 को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य एवं उसके विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने पीड़िता को विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरद,स्ती शारीरिक संबंध बनाए तथा कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई तथा उसने मृत बालिका को जन्म दिया तथा डीएनए परीक्षण रिपोर्ट (एक्स.पी/41) से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त एवं पीड़िता मृत बालिका के जैविक माता-पिता हैं। अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में सफल रहा है कि घटना की तारीख पर पीड़िता नाबालिग थी, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की थी और आरोपी ने उक्त तारीख, समय और स्थान पर नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार यौन संबंध बनाकर यौन उत्पीड़न किया। इस प्रकार, यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बरकरार रखा जाता है। वर्तमान अपील में योग्यता का अभाव है और तदनुसार खारिज की जाती है।

31. अपीलार्थी को गिरफ्तारी की तारीख 24.10.2020 से जेल में बताया गया है। उसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

32. इस फैसले और मूल रिकॉर्ड की एक प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत भेजी जाए।

एसडी/-
(बिभु दत्ता गुरु)
न्यायाधीश

एसडी/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**